(2)

Most Urgent
Personal Attention

No.EDN-HE (21) B (15) 38/2020-POSHAN
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh
Telephone No.0177-2653120, Extension: 234 Fax: 0177-2812882
E-mail:dhe-sml-hp@gov.inE-mail:genbr@rediffmail.com

Dated: Shimla-171001 the May, 2022

To

All the Deputy Directors of Higher Education,
Himachal Pradesh

Subject:- Regarding the steps taken to prevent Sexual abuse of Children

Memo,

Please find enclosed herewith a copy of letter No. C.P.C.R-A (4)-2/2018 –IV-829 dated 16.04.2022 received from the Director (W.C.D) and Member Secretary State Child Rights Protection Commission, Himachal Pradesh, on the above cited subject.

In this context, you are therefore, directed to circulate the same amongst all the Heads of Educational Institutions working under your control for strict compliance to the directions issued by the Himachal Pradesh State Child Rights Protection Commission under intimation to the quarters concerned as well as to this Directorate at the earliest.

Addl. Director of Higher Education (A)
Himachal Pradesh, Shimla-1

Endst.No. Even dated Shimla-171001 the May, 2022
Copy for information and necessary action to:-

1. The Director (W.C.D) and Member Secretary State Child Rights Protection Commission, Himachal Pradesh w.r.t. his /her letter referred to above.
2. The Technical Officer (Computer/IT Cell), Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh with the request to upload the same on Departmental website.
3. Guard file.

Addl. Director of Higher Education (A)
Himachal Pradesh, Shimla-1

05 MAY 2022

Inen
23-4-22

DHE
22 APR 2
(

सी.पी.सी.आर.–ए(4)–2/2018–IV- 829
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
शर्मा भवन, बिलो बी.सी.एस., फेज–3, न्यू शिमला–9

सेवा में,

निदेशक
उच्चतर/प्रारंभिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश,
लालपानी, जिला शिमला–171001

दिनांकः शिमला–171009, 16.04.2022

विषयः बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत कराया जाता है कि दिनांक 23.02.2022 को उक्त पर आयोग की बैठक हुई। इसमें आयोग ने बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार पर विचार करते हुए कहा f यौन शोषण किसी भी जाति, समूह, धर्म या संस्कृति के बच्चे के साथ हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण रोकथाम योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।

आयोग ने कहा कि दिन–प्रतिदिन समाचारों में बच्चों के साथ शोषण/दुष्कर्म/अश्लील हरकतें/ दुव्यर्वहार किए जाने की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं जो अत चिंताजनक है। बच्चों से कोई ऐसा काम करवाना जो बच्चे के स्वास्थ्य या कल्याण को नुकसान पहुंच बाल दुर्व्यवहार/उपेक्षा की श्रेणी में आता है, जबकि बच्चों को अपने निजी स्वार्थ/लाभ के लिए करना, बाल शोषण कहलाता है। बच्चों को यौन गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता दोनों ही मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी, सेक्स टूरिज्म, इंटरने रूम, मसाज स्पा आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां यौन शोषण हो सकता है।

अतः इस मुद्दे पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग ने चाहा है कि विभाग द्वारा प्रदेश व स्कूलों में बाल यौन शोषण एवं बाल दुव्यर्वहार को रोकने संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा इ समय–समय पर जागरूकता शिविर भी लगाए जाएं। विशेषकर, अभिभावकों को इस बात से अवगत जाए कि वे स्वयं अपने बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बना सकते है जिससे उनके साथ दुव्यर्वह संभावना कम हो सकती हैं। वे बच्चों के आत्मविश्वास और समग्र कल्याण में सुधार कर सकते हैं। उन्हें के दैनिक जीवन में रूचि दिखानी चाहिए, उनके जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अभिभावव जागरूक रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बच्चों को बाल यौन शोषण से सक्रिय रूप से बचाने के लिए प्रभावी साक्ष्य–आधारत रणनीतियों को विकसित करने, मूल्यांकन करने और लागू करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चों के पास सुरक्षित, स्थिर, पोषण और वातावरण हो। इस हेतु किए गए प्रयासों से आयोग को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए।

भवदीय,

निदेशक (डब्ल्यू.सी.डी.) एवं सदस्य स
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
हिमाचल प्रदेश